संख्या– /33–4–2026

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक मई, 2026

विषय– मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2026–27 में पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत** शासनादेश संख्या–81/2017/2170/33–3–2017–212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–आई/986674/2025, दिनांक 07.06.2025 में प्रावधानित निर्देशों के अनुसार पुरस्कृत किया जा रहा है। राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति की बैठक दिनांक 06.03.2026 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रदत्त निर्देशों को समावेश करते हुये वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 में ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन **''सी.एम. अवार्ड पोर्टल''** (cmaward.upprd.in) पर प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जानी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **''मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार''** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नवत् दिशा–निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों का चयन कर पुरस्कृत किया जायेगाः–

1– सामान्य निर्देश :–

1.1 मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत समय–सारिणी का निर्धारण एवं आवश्यकतानुसार संशोधन निदेशक, पंचायती राज द्वारा किया जायेगा।

1.2 योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अनुशंसा के आधार पर योजना को निष्पादित किया जायेगा। समितियों का स्वरूप एवं दायित्व शासनादेश दिनांक 07.06.2025 के प्रस्तर–4 पर वर्णित है –

1– **राज्य स्तरीय समिति ''राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति''(SPAC)–**कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।

2– **जनपद स्तरीय समिति ''जनपद परफारमेंस असेसमेंट समिति''(DPAC)–** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।

1.3 ग्राम पंचायतों को अपने लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्मय से **''सी0एम0 अवार्ड पोर्टल''** पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर 02 आवेदन प्रपत्र होंगे, जिसमें प्रथम आवेदन बेसिक प्रपत्र के प्रश्नावली में निर्धारित प्रश्नों में सफल होने के उपरान्त ही 9 थीम/विषय की प्रश्नावली के मुख्य आवेदन में पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायतें प्रवेश कर सकेंगी।

1.4 योजनान्तर्गत निम्नवत् प्रस्तर–2 में प्रदत्त विषयों/क्षेत्रों के आधार पर 100 अंकों की प्रश्नावली तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी।

1.5 ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावली के प्रश्नों का ऑनलाइन स्वः मूल्यांकन कर उत्तर देते हुए अपेक्षित अभिलेख अपलोड कर जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु ऑनलाइन फ्रीज किया जाना होगा।

1.6 जनपद स्तरीय समिति द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण कर कुल पुरस्कृत होने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से कम से कम 3 गुना ग्राम पंचायतों का अनिवार्य रूप से स्थलीय सत्यापन की कार्यवाही सत्यापन दल का गठन कर कराया जायेगा।

1.7 प्रत्येक विकास खण्ड की कम से कम 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

1.8 प्रत्येक जनपद की एक विकास खण्ड से 02 ग्राम पंचायतों से अधिक ग्राम पंचायतों को पुरस्कार हेतु ऑनलाइन अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

1.9 राज्य परफॉरमेंस असेसमेंट समिति की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 03.02.2026 में लिये गये निर्णय के अनुसार योजनान्तर्गत **"ऐसी ग्राम पंचायतें जो कि** विगत वर्षों में 02 बार पुरस्कृत हो चुकी है, इस वर्ष आवेदन कर सकेंगी, जिनके पुनः अर्ह होने की स्थिति में उन्हें प्रशंसा पुरस्कार (मात्र प्रमाण–पत्र) प्रदान किया जायेगा, जो कि पुरस्कार हेतु चयनित 05 ग्राम पंचायतों से पृथक होंगी। ऐसी ग्राम पंचायतें 05 वर्ष बाद पुरस्कार की धनराशि हेतु पुनः अर्ह होने पर पात्र हो सकेंगी।

1.10 चयनित ग्राम पंचायतों के प्रश्नवार साक्ष्य सहित समस्त मूल अभिलेखों की प्रमाणित प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी, जिससे उच्च स्तर पर आवश्यकतानुसार इन पंचायतों के अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करायी जा सके।

1.11 योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

1.12 जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आवेदित पंचायतों द्वारा प्रश्नावली में दर्शायी गयी सूचनाओं के स्थलीय सत्यापनोपरान्त् समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली 05 ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची पर अनुमोदन एवं संस्तुति प्रदान कर पोर्टल पर अंकित कर राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जायेगा। साथ ही चयनित पंचायतों का प्रस्तुतीकरण एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस भी पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद स्तरीय समिति की होगी।

1.13 किसी भी दशा में चयनित ग्राम पंचायतों के अंक समान नहीं रखे जायेंगे। चयनित ग्राम पंचायतों में समान अंक होने पर न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर उनका अवरोही क्रम तैयार किया जायेगा।

1.14 जनपद से प्राप्त ग्राम पंचायतों की सूची के आधार पर निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से पंचायतों के अंकों का अवरोही क्रम में निर्धारण कर ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।

1.15 योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद स्तर से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम संख्या एवं पुरस्कार धनराशि शासन द्वारा प्राविधानित बजट व्यवस्थानुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

1.16 पोर्टल पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत, जनपद स्तरीय समिति **(DPAC)** के यूजर आईडी और पासवार्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी के ईमेल आईडी पर पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

2– योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु शासनादेश संख्या–1033/33–3–2022–345/2016टी.सी.–1, दिनांक 27 मई, 2022 में वर्णित 09 **विषय/क्षेत्र एवं अधिमानः–**

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल 100 अंक
01	**थीम–01 गरीबी मुक्त गॉव**	**10 अंक**
02	**थीम–02 स्वस्थ गॉव**	**10 अंक**
03	**थीम–03 बाल मैत्री गॉव**	**10 अंक**
04	**थीम–04 पर्याप्त जल युक्त गॉव**	**10 अंक**
05	**थीम–05 स्वच्छ एवं हरित गॉव**	**10 अंक**
06	**थीम–06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ाचे वाला गॉव**	**10 अंक**
07	**थीम–07 सामाजिक रूप से सुरक्षित गॉव**	**10 अंक**
08	**थीम–08 सुशासन वाला गॉव**	**20 अंक**
09	**थीम–09 महिला हितैषी गॉव**	**10 अंक**

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

3– ग्राम पंचायतों के आवेदन तथा चयन प्रक्रियाः–

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित प्रश्नावली पर ऑनलाइन मूल्यांकन कर निश्चित समय सीमा में अंकन कर पुरस्कार हेतु आवेदन किया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी **(DPAC)** ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें ऑनलाइन फ्रीज करेगी। जनपद स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित

किया जाये कि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से न्यूनतम तीन गुना ग्राम पंचायतों को अंको के अवरोही क्रम में चयन किया जायेगा।

सत्यापन दल स्थलीय सत्यापनोपरान्त रिर्पोट समिति को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी तथा रिर्पोट के परीक्षण पश्चात् सर्वाधिक अंक वाली 05 ग्राम पंचायतों की सूची पुरस्कार हेतु राज्य स्तरीय समिति को ऑनलाइन फ्रीज कर अग्रसारित करेगी।

राज्य स्तर पर निदेशक, पंचायती राज द्वारा चयनित पंचायतों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी अवरोही क्रम में 375 ग्राम पंचायतों की सूची तैयार की जायेगी। तत्पश्चात राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी प्रत्येक जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों (**SPAC** द्वारा निर्धारित) को प्राप्त अंकों के आधार पर धनराशि का निर्धारण करेगी। **SPAC** का निर्णय अन्तिम होगा, जिसके उपरान्त कोई दावा मान्य न होगा।

उक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संलग्न समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4– बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की प्राविधानित व्यवस्था के आधार पर शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी, जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य परफासमेन्स असेसमेन्ट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी। उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति **(SPAC)** पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वित्तीय वर्ष 2026–27 में शासन द्वारा किये गये आय–व्ययक प्राविधान रू0 9000.00 लाख में से चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा। वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का पुरस्कार मद में व्यय करने के उपरान्त अधिकतम 05 प्रतिशत धनराशि को पुरस्कार समारोह आयोजन एवं अन्य प्रशासनिक मद (प्रशिक्षण, कार्मिक, स्टेशनरी व अन्य कार्यालय व्यय आदि) में व्यय किया जा सकेगा। यदि पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी।

यथा साध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त कार्य माह नवम्बर, 2026 की तय सीमा तक पूर्ण करा दिये जायेगें। यदि किन्हीं कारणों से कुछ कार्य रह जाते हैं अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित कर इस धनराशि को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की प्रशासनिक मद हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखा जा सकेगा, जिसे व्यय किये जाने हेतु निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. सक्षम प्राधिकारी होंगे।

5– पुरस्कार का स्वरूप

- **पुरस्कार धनराशि–** पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं उक्त धनराशि सीधे चयनित ग्राम पंचायत के खाते में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी।

6– पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण/सम्मान समारोह में सम्मानित किया जायेगा। शासनादेश संख्या संख्या–81/2017/2170/33–3–2017–212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–आई/986674/2025, दिनांक 07.06.2025 को उक्त सीमा तक अवक्रमित किया जाता है।

उक्त आदेश आगामी वित्तीय वर्षों में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के आवंटन की स्थिति में उपरोक्त दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

अतः उक्तानुसार उपर्युक्त दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए ससमय समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 28-05-2026 17:31:32

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

संख्याः— /33—4—2026—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
4— प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
5— प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
6— प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 षासन।
7— प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
8— विशेष सचिव, 1/2/3, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
9— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
10— मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
11— निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
12— निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
13— अपर निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
14— उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
15— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
16— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
18— समस्त जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
19— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी /एक मुख्य विकास अधिकारी एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।
21— गार्ड—फाइल।

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

शासन के पत्र संख्या :– दिनांक का संलग्नक

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के परिवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारणी।

क्र. सं.	गतिविधि	दिनांक
1	समस्त जनपदों को प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	10 जुलाई, 2026
2	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पंचायत राज के पोर्टल https://cmawards.upprd.in/ पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	15 जुलाई से 16 अगस्त, 2026
3	पंचायतों द्वारा फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/ अनुमोदन कर जनपद स्तरीय स्थलीय सत्यापन हेतु चयन के सापेक्ष न्यूनतम तीन गुना ग्राम पंचायतों को चयन करना।	15 सितम्बर, 2026
4	**जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराना एवं प्रत्येक जनपद से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 05 ग्राम पंचायतों की अभिलेखों सहित समिति की संस्तुति रिपोर्ट फ्रिज की जायेगी।**	**05 अक्टूबर, 2026**
6	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।	25 नवम्बर, 2026
7	कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की धनराशि का हस्तान्तरण किया जाना।	30 दिसम्बर, 2026

नोटः– 1–उपरोक्त योजनान्तर्गत समय–सारणी परिस्थितियों के दृष्टिगत निदेशक, पंचायतीराज द्वारा समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी।

2–समय सीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।